राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 257/2023

डॉ. प्रशान्त कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं (ग्रुप–2) विभाग, एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. डॉ. रवि प्रकाश माथुर, वर्तमान पदोन्नत निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, वर्तमान अतिरिक्त निदेशक, राजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2023
आदेश की दिनांक : 30.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा है कि आलोच्य आदेश दिनांक 21.10.2022 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किये जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में निम्नप्रकार हैः–

3. अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 13.04.1992 को हुई थी और रिक्ति वर्ष 2003–4 के विरूद्व नियमित पदोन्नति के तहत अपीलार्थी को उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और वर्ष 2009–10 के विरूद्व अपीलार्थी को उपनिदेशक के

पद पर पदोन्नत किया गया। उनका कथन है कि डीएसीपी नियम लागू होने से पूर्व नियम 2011 के नियम नियम 24बीबी के तहत अपीलार्थी को पहले ही उप निदेशक के पद पर नियमित डीपीसी के तहत पदोन्नत किया जा चुका है और अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 जिसमें अग्रिम पदोन्नति पीसीएमओ के पद पर डीएसीपी स्कीम के तहत की गई और उल्लेख किया गया की जो पीसीएमओ पदधारी है वो जिला/जोनल मुख्यालय निरंतर पदस्थापित होगें। उक्त अधिसूचना इस संदर्भ में अपीलार्थी को ग्रेड पे 8700/–पीसीएमओ संवर्ग में दिनांक 06.08.2013 को दी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2014 को वरिष्ठता सूची जारी की गई जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 8 पर दर्शाया गया। दूसरी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2017 को जारी की गई जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 4 पर अंकित किया गया और फिर वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2019 को जारी की गई जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 3 पर अंकित किया गया और पुनः दिनांक 01.04.2022 के क्रम में दिनांक 05.07.2022 को जारी की गई जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 2 पर अंकित किया गया। वरिष्ठता सूची के आधार पर अपीलार्थी की पदोन्नति उप निदेशक के पद पर बकाया थी कुल उप निदेशक संवर्ग की संख्या 6 है जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 2 पर अंकित है और इस प्रकार अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्व निदेशक के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है। दिनांक 18.10.2022 को उक्त पद के लिए डीपीसी आयोजित की गई जिसमें अपीलार्थी के नाम पर विचार न करके उससे कनिष्ठ कार्मिक के नाम पर विचार किया गया अपीलार्थी को प्राप्त सूचना के आधार पर पदोन्नति आदेश दिनांक 21.10.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को निदेशक के पद पर दिनांक 01.08.2022 से पदोन्नत कर दिया गया परन्तु अपीलार्थी को पदोन्नत नही किया गया। उनका कथन है कि 6 व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है जिसमें 3 व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुके है। इस प्रकार 3 पद आज भी रिक्त है। अपीलार्थी से कनिष्ठ श्री रवि प्रकाश शर्मा तदर्थ आधार पर कार्य कर रहा है जबकि अपीलार्थी वरिष्ठ होते हुए भी उसे पदोन्नति नही दी गई। निदेशक का पद पूर्ण रूप से पदोन्नत पद है और अपीलार्थी सबसे वरिष्ठ है परन्तु उसे बिना किसी कारण से पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है जो नियम विरूद्व है अपीलार्थी की एपीएआर अच्छी है और इस प्रकार अपीलार्थी निदेशक के पद पर रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्व पदोन्नत पाने का अधिकारी है। आदेश दिनांक 21.10.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को निदेशक के

पद पर पदोन्नत किया गया है व नियम विरूद्व एवं अवैध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.10.2022 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किये जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे।

4. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि निदेशक का पद संवर्ग की राजकीय सेवा का उच्चतम पद है तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं नियम 1963 के नियम 24(7)के अनुसार Selection for Promotion in the highest post in the state service shall always be made on the basis of marit alone. वर्ष 2022–23 में रोस्टर के अनुसार सामान्य वर्ग की दो रिक्तियॉ उपलब्ध थी जिसके अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का चयन किया जाना था, परन्तु कार्मिक विभाग द्वारा अपनी राय के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया था कि यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई योग एवं पात्र अभ्यर्थी अपनी स्वयं की वरियता अर्थात सेवा में प्रवेश के समय की वरियता के आधार पर बिना आरक्षण का लाभ लिये वरिष्ठ है, तो उसे अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यांश यथा 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत पूर्ण होने पर ही पदोन्नति से वंचित नहीं किया जायेगा एवं अनारक्षित रिक्ति के चयन से आधिक्य हुआ निर्धारित अभ्यांश भविष्य में समायोजित किया जायेगा। साथ ही निदेशालय से प्राप्त प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख विशेषज्ञ की इन्टर–से –सीनियरटी के आधार पर अपीलार्थी की मूल वरिष्ठता के अनुसार वरियता क्रमांक 705 एवं डॉ. रवि प्रकाश माथुर की वरियता क्रमांक 388 अंकित है जिसके फलस्वरूप डॉ. रवि प्रकाश माथुर से कनिष्ठ होने के कारण पदोन्नति योग्य नहीं पाया गया और डॉ. रवि प्रकाश माथुर का पद हेतु चयन किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में बल न होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

5. निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का लिखित जावब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की पदोन्नति राजस्थान सेवा नियमों के आधार पर नियमानुसार ही की गई हैं जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लघंन नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील तर्कहीन है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि निदेशक का पद पदोन्नति के आधार पर भरा जाने वाला पद है

और अपीलार्थी वरिष्ठता सूची के आधार पर सबसे वरिष्ठ कार्मिक हैं जो उक्त पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है। उनका यह भी कथन है कि वरिष्ठता सूची जो वर्ष 2016,2018,2019 एवं 2022 में जारी की गई है। सभी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम निजी प्रत्यर्थी से उपर अंकित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी सबसे वरिष्ठ कार्मिक हैं। फिर भी उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है जो नियम विरूद्व है।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

8. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 13.04.1992 को हुई थी और वर्तमान में अपीलार्थी संयुक्त निदेशक के पद पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जिला भरतपुर में कार्यरत है। जहां तक वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी वरिष्ठ होने के बावजूद निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को पदोन्नति प्रदान किये जाने का प्रश्न है हमारे विनम्र मत में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में निदेशक का पद राजकीय सेवा का उच्चतम पद है तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं नियम 1963 के नियम 24(7)के अनुसार Selection for Promotion in the highest post in the state service shall always be made on the basis of marit alone. हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत है कि यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई योग एवं पात्र अभ्यर्थी अपनी स्वयं की वरियता अर्थात सेवा में प्रवेश के समय की वरियता के आधार पर बिना आरक्षण का लाभ लिये वरिष्ठ है, तो उसे अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यांश यथा 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत पूर्ण होने पर ही पदोन्नति से वंचित नहीं किया जायेगा एवं अनारक्षित रिक्ति के चयन से आधिक्य हुआ निर्धारित अभ्यांश भविष्य में समायोजित किया जायेगा। साथ ही निदेशालय से प्राप्त प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख विशेषज्ञ की इन्टर–से–सीनियरटी के आधार पर अपीलार्थी की मूल वरिष्ठता के अनुसार वरियता क्रमांक 705 एवं डॉ. रवि प्रकाश माथुर की वरियता क्रमांक 388 अंकित है जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से कनिष्ठ होने के कारण निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं नियम 1963 के नियम 24(7)के अनुसार निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को पदोन्नति

प्रदान की गई। जो हमारे विनम्र मत में उचित प्रतीत होती है। अपीलार्थी की अपील में बल न होने के कारण खारिज फरमाई जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)